# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी:–

1. हनुमानप्रसाद बंसल पुत्र सुरजमल अग्रवाल उम्र 63 वर्ष जाति महाजन निवासी कस्बा नावां तहसील नावां।

   1/1 रमेशकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद

   1/2 महेशकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद

   1/3 दिनेशकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद जातिया अग्रवाल निवासीयान कस्बा नावां तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. प्रभुदाससिंह पुत्र स्वर्गीय किशनसिंह जाति राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
2. अरूणाकुमारी पुत्री स्वर्गीय किशनसिंह जाति राजपूत उम्र 59 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
3. रोहिणी पुत्री स्वर्गीय किशनसिंह जाति राजपूत उम्र 51 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
4. अनुराधाकुमारी पुत्री स्वर्गीय किशनसिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
5. नैना पुत्री स्वर्गीय किशनसिंह जाति राजपूत उम्र 46 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
6. सुरेन्द्रकुमार पुत्र हरनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 27 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
7. शांतिलाल पुत्र पुसालाल जाति जैन उम्र 52 वर्ष निवासी अजमेर हाल ग्राम पांचोता तहसील नावां।
8. मोहितकुमार पुत्र माधवप्रसाद धुत जाति महाजन उम्र 23 वर्ष निवासी कस्बा नावां तहसील नावां।
9. रघुनाथसिंह पुत्र नोलाराम जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी हेमपुरा तहसील नावां।
10. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधी तहसीलदार (भूमिधारी) नावां।

<u>दावा वास्ते इस्तकरार हक, खातेदारी अधिकारों की घोषणा,</u>
<u>भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,5[illegible] आर.टी.एक्ट</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:03 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादीगण
श्री महावीर प्रसाद [illegible] अधिवक्ता प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर: 126/2013 निर्णय दिनांक:– 13.10.2023



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना–कुचामन)

## निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम पांचोता पटवार हल्का पांचोता तहसील नावां के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 414 रकबा 5.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1259/406 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1260/133 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1261/415 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1262/416 रकबा 0.07 हैक्टर कुल खसरे 9 कुल रकबा 6.87 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी जिसको वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अपनी सहमति व सहूलियत अनुसार मौके पर बंटवारा कर अपने अपने हक हिस्से अनुसार बाजोत करते आ रहे थे। उपरोक्त खसरान नम्बर की कृषि भूमि पर कभी भी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता स्वर्गीय किशनसिंह जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मात्र उनकी पुत्रीयां होने के कारण ही प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम राजस्व भू-अभिलेख रिकॉर्ड में इन्द्राज जरिये विरासत नामांतरकण दर्ज हुआ है। उपरोक्त कृषि भूमि में से पूर्व खातेदार महावीरसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत निवासी श्यामगढ़ से उनक सम्पूर्ण हक हिस्से को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 25.06.2007 को खरीद कर उसी दिन खरीद की गई भूमि का मौके पर कब्जा प्राप्त कर काबिज हो गया तथा उक्त बैचाननामा दिनांक 25.06.2007 के अनुसार उपरोक्त खसरान के राजस्व भू-अभिलेख रिकॉर्ड में वादी के नाम अन्य खातेदारान के साथ खातेदारी में नामांतकरण संख्या 631 के इन्द्राज हो गया और माफिक बैचाननामा वादी उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि पर वादी को उसके हक हिस्से की कृषि भूमि पर तमाम मालिकाना स्वामित्व व आधिपत्य कानूनन प्राप्त हो चुके थे। उक्त भूमि में से माफिक बैचाननामा अनुसार एवं माफिक मौखिक बंटवारे अनुसार ग्राम पांचोता की आबादी से ग्राम खुशिया भूणी जाने वाले रास्ते के पूर्वी दिशा में एवं खसरा नम्बर 414 भूमि में पश्चिमी दिशा पर काबिज चला आ रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा संख्या 2013002400 दिनांक 09.10.2013 के प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 9 को विक्रय कर दी है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 अजनबी व्यक्ति है जिनको उपरोक्त कृषि भूमि का विधिवत रूप से भू-विभाजन कराये बिना कथित बैचाननामा दिनांक 09.10.2013 के आधार पर उक्त कृषि भूमि में से एक भाग विशेष की भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त अविभाजित कृषि भूमि में से एक खसरा विशेष के भाग विशेष की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मौजा ग्राम पांचोता पटवार हल्का पांचोता तहसील नावां के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 414 रकबा 5.43 हैक्टर कृषि भूमि में से ग्राम पांचोता की आबादी के भीतर से ग्राम खुशिया भूणी जाने वाले रास्ते के पूर्वी दिशा तथा उक्त खसरा नम्बर 414 के पश्चिमी दिशा की 1.1450 हैक्टर कृषि भूमि का अकेले वादी के खातेदारी अधिकारों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:06:03 IST
Reason: Self Attested



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

घोषित फरमाकर इसी प्रकार से उक्त खसरान के राजस्व भू–अभिलेख रिकॉर्ड में दुरुस्ती करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 10 व उसके एजेन्ट पटवारी हल्का को फरमाने तथा उक्त भूमि के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत भू–विभाजन वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स फरमाने तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 414 की भूमि से वादी के कब्जे काश्त की 1.1450 हैक्टर भूमि से उसे जबरन बेदखल कर उसके कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करे और उपरोक्त खसरान की समस्त 6.87 हैक्टर कृषि भूमि का विधिवत भू–विभाजन कराये बिना एक खसरा विशेष के भाग विशेष की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोई कार्यवाही न तो स्वयं प्रतिवादीगण ही करे और न ही ऐसी कोई कार्यवाही अपने एजेन्टों से ही करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद शर्मा, गोपालसिंह व दीपेन्द्र सिंह चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया जिसका अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी अंदर मियाद होने से स्वीकार किया जाकर वादी की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। वादी संख्या 1/1 ता 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र पक्षकार स्ट्रक ऑफ करने पेश किया जिसे उभयपक्षकारान की सहमति से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को डिलीट किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन अखबार हुक्मनामा समाचार दिनांक 05 जनवरी 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 अरुणाकुमारी, रोहिणी, अनुराधाकुमारी, नैना पिसरान किशनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामगढ़ तहसील नावां के द्वारा मौजा ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 131, 132, 408, 413, 414, 1259/406, 1260/133, 1261/415, 1262/416 कुल रकबा 6.87 हैक्टर भूमि में से अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा संख्या 2013002400 दिनांक 09.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पांचोता, शान्तिलाल पुत्र पुसालाल जाति जैन निवासी अजमेर, मोहित कुमार पुत्र माधवप्रसाद धुत जाति महाजन निवासी कस्बा नावां, रघुनाथ सिंह पुत्र नोलाराम जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील नावां को बैचान कर मौके पर उपरोक्त खसरा आराजीयात भूमि [illegible] कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से लेकर आज दिन तक प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है जिसमें वादी को किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है एवं उपरोक्त खसरा आराजीयात भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आज दिन भी शामलाती चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के द्वारा उपरोक्त भूमि खरीद करने के पश्चात मौके पर काबिज रहे हैं तथा उपरोक्त खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:03 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

आराजीयात भूमि का भौतिक बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्ड्रस करवाये जाने के कानूनन विधिक अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि उपरोक्त खसरा आराजीयात भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की कब्जे शुदा भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी एवं किसी प्रकार का जबरन अवैध कब्जा विशेष भू–भाग पर न तो स्वयं ही करें न ही ऐसा अपने एजेंटो से ऐसा करावें। उपरोक्त खसरा आराजीयात भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन किया जाकर उपरोक्त खसरान की भूमि के राजस्व अभिलेख में रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रतिवादी संख्या 10 व उसके एजेन्ट पटवारी हल्का पांचोता को तहरीर जारी की जावे। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन किया जावें। प्रतिवादी संख्या 10 औपचारिक पक्षकार प्रतिवादी होने से पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी रमेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 2 वादी दिनेश कुमार के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करने एवं जिरह नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू.1 प्रतिवादी रघुनाथ सिंह, डी.डब्ल्यू.2 सुरेन्द्र कुमार के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करने एवं जिरह नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। प्रार्थी विक्रमसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी पांचोता की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राठौड़ ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसपर उभयपक्षकारान की सुनवाई के उपरांत उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसे शामिल मिशल किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी दिलीपसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी पांचोता ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसपर उभयपक्षकारान की सुनवाई के उपरांत उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। विक्रमसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी पांचोता की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राठौड़ ने प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी वाद पत्र 157/2023 को समायोजित करने पेश किया जिसे बाद सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया।

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने निवेदन किया कि उक्त भूमि में सेग्रीगेशन करते समय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो गया था जिसे तहसीलदार नावां ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में भी गलत बताया है तथा सेग्रीगेशन के दौरान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत हिस्सा को दुरूस्त करते हुए तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया है। तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का भू–विभाजन किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:06:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम पांचोता पटवार हल्का पांचोता तहसील नावां के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 414 रकबा 5.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1259/406 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1260/133 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1261/415 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1262/416 रकबा 0.07 हैक्टर कुल रकबा 6.87 हैक्टर भूमि में तहसीलदार नावां द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का हिस्सा दुरूस्त करते हुए बंटवारा प्रस्ताव पेश किया हैं। अतः उपरोक्त भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की भूमि का भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम पांचोता पटवार हल्का पांचोता तहसील नावां के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 414 रकबा 5.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1259/406 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1260/133 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1261/415 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1262/416 रकबा 0.07 हैक्टर कुल रकबा 6.87 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:03 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः—

1. हनुमानप्रसाद वंसल पुत्र सुरजमल अग्रवाल उम्र 63 वर्ष जाति महाजन निवासी कस्या नावां तहसील नावां।

   1/1 रमेशकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद

   1/2 महेशकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद

   1/3 दिनेशकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद जातिया अग्रवाल निवासीयान कस्या नावां तहसील नावां।

वनाम

प्रतिवादीगणः—

1. प्रभुदाससिंह पुत्र स्वर्गीय किशनसिंह जाति राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
2. अरूणाकुमारी पुत्री स्वर्गीय किशनसिंह जाति राजपूत उम्र 59 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
3. रोहिणी पुत्री स्वर्गीय किशनसिंह जाति राजपूत उम्र 51 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
4. अनुराधाकुमारी पुत्री स्वर्गीय किशनसिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
5. नैना पुत्री स्वर्गीय किशनसिंह जाति राजपूत उम्र 46 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
6. सुरेन्द्रकुमार पुत्र हरनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 27 वर्ष निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां।
7. शांतिलाल पुत्र पुसालाल जाति जैन उम्र 52 वर्ष निवासी अजमेर हाल ग्राम पांचोता तहसील नावां।
8. मोहितकुमार पुत्र माधवप्रसाद धुत जाति महाजन उम्र 23 वर्ष निवासी कस्या नावां तहसील नावां।
9. रघुनाथसिंह पुत्र नोलाराम जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी हेमपुरा तहसील नावां।
10. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधी तहसीलदार (भूमिधारी) नावां।

मुकदमां नम्वर :— 126/2023 निर्णय दिनांक :— 13.10.2023

इनफिसाल कतई रूवरू.....वहाजरी श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादीगण एवं श्री महावीर प्रसाद शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम पांचोता [illegible] हल्का पांचोता तहसील नावां के खसरा नम्वर 131 रकवा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्वर 132 रकवा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्वर 408 रकवा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्वर 413 रकवा 0.[illegible] हैक्टर, खसरा [illegible] 414 रकवा 5.43 हैक्टर, खसरा नम्वर 1259/406 रकवा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्वर 1260/133 रकवा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्वर 1261/415 रकवा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्वर 1262/416 रकवा [illegible] हैक्टर कुल रकवा 6.87 हैक्टर भूमि में मुताविक वंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:06:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां
नावां (डीडवाना-कुचामन)

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरीक | NIL | NIL | स्टम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरीक | NIL | NIL |
| मीजान | NIL | NIL | मीजान | NIL | NIL |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:03 IST
Reason: SelfAttested